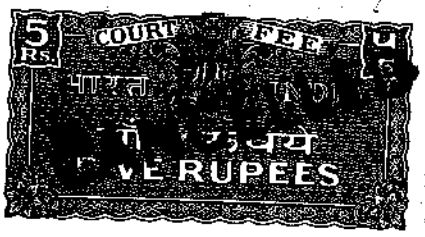

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

46

CR Ro 15/-2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 2002 निगरानी

R-2569-III/02

श्री प्रदीप के० श्रीवास्तव अभिभाषक द्वारा आज दि० 25/10/02 को प्रस्तुत।

अवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

25 OCT 2002

25.10.02

अशोक शर्मा पुत्र अहिवरन, आयु-44 वर्ष व्यवसाय कृषि, निवासी-ग्राम निवारी परगना अटेर जिला भिण्ड

-- आवेदक

बनाम

1- नवाबसिंह पुत्र पंचमसिंह

2- सुधरसिंह पुत्र पंचमसिंह

3- मन्नूसिंह पुत्र सधरसिंह कौम ठाकुर

4- कुल्ली पुत्र धनीराम जाति काछी

5- साकिन समस्त ग्राम निवारी परगना अटेर जिला भिण्ड

-- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू०राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 30-7-02 द्वारा पारित अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना प्र०क्र० 211/89-90 अपील

माननीय महोदय,

आवेदक की अपील निम्न लिखित है :-

1- यह कि, आवेदक ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 सुधरसिंह से सर्वे नं. 563 रकवा 334 और सर्वे नं. 571 रकवा 0.397 आरे. में हिस्सा आधा खरीद लिया इसका नामान्तरण पंजी क्रमांक 47 दिनांक 6-2-81 को दर्ज हुआ तत्पश्चात लगभग 7 वर्ष बाद अनावेदक क्रमांक 1 ने न्यायालय तहसीलदार अटेर के समक्ष धारा 178 म०प्र० भू०राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार अटेण्ड है 30-1-88 को आवेदक को बगैर सुने एक पक्षीय करते हुए जिस तरह का बंटवारा अनावेदक क्रमांक 1 ने चाहा था उसी के अनुसार बंटवारा कर

(?)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 2569–तीन/2002 निगरानी जिला मुरैना

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर

4-7-16

प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल सँभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 211/1989–90 अपील में पारित आदेश दिनॉक 30–7–2002 के म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार अटेर के प्रकरण कमांक 4/87–88 अ–27 में पारित आदेश दिनांक 30–1–88 तथा अनुविभागीय अधिकारी अटेर व्दारा प्रकरण कमांक 35/1988–89 अपील में पारित आदेश दिनांक 23–7–1990 एंव अपर आयुक्त, चम्बल सँभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 211/1989–90 अपील में पारित आदेश दिनॉक 30–7–2002 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

3/ अतएव निगरानी अमान्य की जाती है। जहॉ तक आवेदक की ओर से मान0 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 भिण्ड के प्रकरण कमांक 63 ए/2010 ई0दी0 में पारित आदेश दिनॉक 2–12–2011 के अनुसार कार्यवाही का प्रश्न है ? माननीय व्यवहार न्यायालयों के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है । अतः आवेदक मान0 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 भिण्ड के प्रकरण कमांक 63 ए/2010 ई0दी0 में पारित आदेश दिनॉक 2–12–2011 की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसील न्यायालय में प्रस्तुत कर पालन की कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र है।

सदस्य